



2026:AHC:37947

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 5908/2026

प्रद्यूम

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा एक अन्य

.....विपक्षी

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : गजेन्द्र सिंह चौहान

विपक्षी की ओर से अधिवक्ता : सरकारी अधिवक्ता (जी.ए.)

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में पीड़िता का कथन है कि जब वह अपने कक्ष में सो रही थी तभी आवेदक उसके घर में प्रवेश कर गया और उसे पकड़ लिया तथा शोर मचाने पर वह भाग गया। धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत अभिलिखित बयान में पीड़िता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथानक को दोहराते हुए आवेदक पर उसे पकड़ने का आरोप लगाया, जबकि धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत अभिलिखित बयान में उसने शरीर को स्पर्श करने का आरोप लगाया। कथित पीड़िता के चिकित्सीय परीक्षण में उसके शरीर पर दो बाह्य चोटें पाई गईं। धारा 180 व 183 भारतीय

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत अभिलिखित पीड़िता के बयानों में परस्पर सारवान विरोधाभास है। इससे परिलक्षित हो रहा है कि यह मिथ्या आरोपण का प्रकरण है तथा आवेदक को छिपे उद्देश्य एवं दुर्भावनापूर्ण आशय से मिथ्या एवं निराधार आरोपों के आधार पर इस प्रकरण में फंसाया गया है। आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की मिथ्यता प्रदर्शित करने हेतु अनेक अन्य तर्क भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। उन परिस्थितियों का भी उल्लेख किया गया जो अधिवक्ता के अनुसार अभियुक्त के मिथ्या फंसाव का कारण बनीं। आवेदक की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि वह कानून की प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार है और जब भी आवश्यकता होगी वह ईमानदारी से अदालत के समक्ष खुद को उपलब्ध कराएगा और उन सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है जो न्यायालय उचित समझकर उस पर अधिरोपित करे। आपराधिक इतिहास के संबंध में, आवेदक के नाम दो प्रकरण दर्ज हैं, जिनकी व्याख्या जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र के पैरा-6 में की गई है। आवेदक दि० 11.10.2025 से कारागार में निरुद्ध है, इसलिए आवेदक को जमानत पर छोड़ दिया जाय।

3. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का प्रबल विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि विचारण-पूर्व अवस्था में आवेदक की निर्दोषिता का निर्धारण नहीं किया जा सकता, अतः वह किसी भी अनुग्रह का पात्र नहीं है, इसलिए आवेदक को जमानत पर न छोड़ा जाये।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध समग्र तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति तथा अपराध की गम्भीरता का समग्र रूप से अवलोकन करने के बाद मेरी राय में आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का उपयुक्त आधार है।

5. अतः वाद के गुण-दोष पर बिना कोई टिप्पणी किए हुए आवेदक प्रद्यूम को मु.अ.सं० 120/2025, अन्तर्गत धारा 62, 64(1), 3(5), 331(4), 351(3), 352 बी.एन.एस., थाना- सिरसकलार , जिला- जालौन में संबंधित न्यायालय की सन्तुष्टि पर व्यक्तिगत बंध-पत्र एवं

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



समतुल्य धनराशि के दो स्थानीय प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर छोड़ दिया जाय।

- i) आवेदक विवेचना या परीक्षण के दौरान अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों व पीड़िता/शिकायतकर्ता को डरायेगा/धमकायेगा नहीं।
- iii) आवेदक न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा, वह परीक्षण के दौरान बिना कोई अनावश्यक स्थगन लिए नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा तथा परीक्षण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
- iv) आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद ऐसा कोई अपराध कारित नहीं करेगा जो उस अपराध के समान हो जिसके लिए आवेदक अभियुक्त है अथवा जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।
- v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति या पुलिस अधिकारियों को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देगा न ही उनसे कोई वायदा करेगा, जिसके कारण उन्हें न्यायालय में तथ्यों को उजागर करने से विरत रहना पड़े अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ हो।

6. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, परीक्षण न्यायालय आवेदक की जमानत नियमानुसार रद्द करने को स्वतंत्र है।

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

दिनांक : 18 फरवरी, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"